

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी सिविल विविध अपील संख्या 3554/2023

श्रीमती प्रेम पत्नी श्री हरदयाल पुत्री श्री पूसा राम जी, निवासी ग्राम बेबंजा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर, राजस्थान।

----अपीलकर्ता

बनाम

हरदयाल पुत्र श्री महादेव, निवासी नवाब , पंचायत समिति , श्रीनगर, तहसील नसीराबाद , जिला अजमेर।

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता (ओं) के लिए : श्री राम सिंह गुर्जर
प्रतिवादी (ओं) के लिए :

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

निर्णय

22/08/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):

1. यह अपील पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2019 को पारित विवाह विच्छेद संबंधी निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि पक्षों की शादी वर्ष 1993 में हुई थी और 02.08.2004 को एक लड़के का जन्म हुआ। अपीलार्थी के अनुसार गर्भावस्था के दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे ससुराल से निकाल दिया गया। अपीलार्थी ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए और 406 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत पुलिस स्टेशन नसीराबाद में एफआईआर संख्या 250/2004 दर्ज कराई। प्रतिवादी और परिवार के सदस्यों को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया। धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन में, प्रतिवादी ने यह रुख अपनाया कि हालांकि शादी वर्ष 1993 में हुई थी लेकिन "गौना" 18.01.2004 को हुआ था और उस तारीख को अपीलार्थी तीन महीने की गर्भवती थी। एक पूर्ण परिपक्व बच्चे को 02.08.2004 को जन्म दिया गया था, यानी

गौना के लगभग साढ़े छह महीने बाद। पारिवारिक न्यायालय ने विवाद पर विचार करते हुए धारा 125 सीआरपीसी के तहत आवेदन से निपटते हुए बच्चे का डीएनए परीक्षण करने का आदेश दिया। डीएनए रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी बच्चे का जैविक पिता नहीं था। धारा 13 के तहत याचिका व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग के आधार पर दायर की गई थी। मामले को साबित करने के लिए, प्रतिवादी ने खुद गवाही दी और दो गवाहों की जाँच की गई। डीएनए रिपोर्ट को एक्स.1 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। अपीलकर्ता ने यह रुख अपनाया कि विवाह के दौरान, प्रतिवादी ने पुनर्विवाह किया था। उसने एक सिविल मुकदमा दायर किया था जिसमें एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें प्रतिवादी को पुनर्विवाह न करने का निर्देश दिया गया था, फिर भी प्रतिवादी ने दूसरी शादी कर ली। इसके अलावा आपत्तियां उठाई गईं कि डीएनए का नमूना निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था तथ्यों पर विचार करने और साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, अपीलकर्ता के विरुद्ध क्रूरता, व्यभिचार और परित्याग के मुद्दे तय किए गए और तलाक की डिक्री पारित की गई। अतः, वर्तमान अपील।

3. सेवा के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि तलाक की डिक्री जारी होने से पहले प्रतिवादी ने पुनर्विवाह कर लिया था। तर्क यह है कि डीएनए नमूनाकरण उचित नहीं था।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. पारिवारिक न्यायालय ने क्रूरता, व्यभिचार और परित्याग से संबंधित मुद्दों पर विचार किया। प्रतिवादी यह साबित करने में सफल रहा कि अपीलकर्ता ने उसके और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई थी और अंततः आपराधिक मामले में उसे बरी कर दिया गया। पारिवारिक न्यायालय ने प्रतिवादी के साक्ष्य, AW-2, AW-3 और बरी करने के निर्णय (प्रत्यावेदन 7) पर विचार करने के बाद क्रूरता के मुद्दे पर प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय दिया।

7. रानी नरसिम्हा शास्त्री बनाम रानी सुनीला मामले में **(2020) 18 एससीसी 247** में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

13. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए अभियोजन शुरू किया है, जिसके लिए अपीलकर्ता को मुकदमे से गुजरना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उसे बरी कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अभियोजन में, न केवल बरी किया गया है, बल्कि यह भी कहा गया है कि एक-

दूसरे के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप लगाए गए हैं। क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री की मांग करते हुए अपीलकर्ता द्वारा स्थापित मामला स्थापित हो गया है । प्रतिवादी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में , उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 में निम्नलिखित अवलोकन किया:

14. ...केवल इसलिए कि प्रतिवादी ने भरण-पोषण की मांग की है या भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, उन्हें यह मानने के लिए वैध आधार नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी द्वारा अपनाया गया ऐसा सहारा क्रूरता के बराबर है।

14. उच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता । यह सच है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत दर्ज करा सकता है या अभियोजन दर्ज करा सकता है और किसी अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा सकता है और केवल शिकायत या प्राथमिकी दर्ज कराना स्वतः क्रूरता नहीं माना जा सकता। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसे मुकदमे से गुजरता है जिसमें उसे पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अपराध के आरोप से बरी कर दिया जाता है, तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पति पर कोई क्रूरता नहीं हुई है। हमारे समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं के अनुसार, 14.8.2005 को विवाह होने के बाद दोनों पक्ष केवल 18 महीने ही साथ रहे और उसके बाद वे एक दशक से अधिक समय से अलग रह रहे हैं।

15. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i -a) में उल्लिखित आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान करने का आधार बनाया है।

8. यह तथ्य कि गौना 18.01.2004 को हुआ था और एक लड़के का जन्म 02.08.2004 को हुआ था , यानी गौना के साढ़े छह महीने बाद, और डीएनए रिपोर्ट से व्यभिचार सिद्ध हुआ । डीएनए परीक्षण अपीलकर्ता की सहमति से किया गया था और उचित प्रक्रिया अपनाई गई थी। अपीलकर्ता का सहमति पत्र प्र.3 के रूप में संलग्न किया गया था । नमूना पारिवारिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और दो गवाहों की उपस्थिति में लिया गया था । डीएनए परीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि नमूना सील सहित प्राप्त किया गया था । डीएनए नमूनाकरण के आदेश और डीएनए रिपोर्ट को अपीलकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी ।

9. प्रस्तुत साक्ष्यों से, पारिवारिक न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पक्षकार बिना किसी उचित कारण के दो वर्ष से अधिक समय से अलग रह रहे थे। अतः, परित्याग सिद्ध हुआ।

10. बिपिनचंद्र जयसिंह बाई शाह बनाम प्रभावती के मामले में एआईआर **1957** एससी **176** में प्रकाशित उच्चतम न्यायालय ने परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए निम्नलिखित पूर्वपेक्षाएं निर्धारित की हैं:

“(1) अलगाव का तथ्य;

(2) शत्रुता डेसेरेन्डी ;

(3) उसकी सहमति का अभाव ; और

(4) उसके आचरण का अभाव , जो परित्यक्ता पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने का उचित कारण देता हो।

देवानंद तामुली बनाम काकुमोनी काताकी मामले में **(2022) 5 एससीसी 459** में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार फैसला सुनाया है:

“7 उत्तमचंद्र मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। कृपलानी (सुप्रा) में उल्लेख किया गया है जिसका इस न्यायालय के कई निर्णयों में लगातार पालन किया गया है। इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित कानून यह है कि परित्याग का अर्थ है एक पति या पत्नी का दूसरे की सहमति के बिना और उचित कारण के बिना जानबूझकर परित्याग करना। परित्यक्त पति या पत्नी को यह साबित करना होगा कि अलगाव का तथ्य है और परित्यक्त पति या पत्नी की ओर से सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा है। दूसरे शब्दों में, परित्यक्त पति या पत्नी की ओर से परित्याग की भावना होनी चाहिए। परित्यक्त पति या पत्नी की ओर से सहमति का अभाव होना चाहिए और परित्यक्त पति या पत्नी के आचरण से परित्यक्त पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने का उचित कारण नहीं मिलना चाहिए.....”

11. क्रूरता और व्यभिचार के आधार को अपील में भी चुनौती नहीं दी गई है। डीएनए रिपोर्ट के संदिग्ध होने का तर्क, डीएनए नमूने के आदेश और डीएनए रिपोर्ट को चुनौती न दिए जाने के मद्देनजर, निराधार है। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने डीएनए परीक्षण के लिए सहमति दी थी, नमूना सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा पीठासीन अधिकारी और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में लिया गया था।

12. पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

13. यह अपील खारिज की जाती है।

(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

चंदन/तनिषा/27

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी